न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– कमला अलारिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 26/2016

1. बलदेवराज पुत्र श्री किशोरी लाल जाति वाल्मिकी निवासी वार्ड न. 32, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधी भू–धारक।
2. नगरपालिका सूरतगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़।

–उतरवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अपीलांट अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा
2. पैरोकार राज
3. उतरवादी न. 2 अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा

निर्णय

दिनांकः–13.4.2022

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 09.06.2006, जिसके द्वारा अपीलांट का रोही सूरतगढ़ खसरा न. 480/1 की 0.012 हैक, खसरा न. 481/12 की 0.468 हैक, खसरा न. 481/3 की 0.421 हैक, खसरा न. 481/14 की 1.265 हैक, खसरा न. 483/1 की 1.252 हैक, खसरा न. 483/2 की 2.492 हैक, खसरा न. 485/10 की 0.341 हैक कुल 6.311 हैक टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका के पैराफेरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।
2. अपील मीमो संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2006 अपीलांट को बिना सुने, बिना साक्ष्य का समुचित अवसर दिये अपीलांट के 52 वर्ष पुरानें आवंटन को अपने ही कयासो के आधार पर खारिज कर दिया। अपीलान्ट की पत्नी बाधुदेवी राजस्थान उपनिवेषन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते सन 1995 के प्रावधानो के अन्तर्गत सन 02.09.1970 में अस्थाई पट्टा पर आवंटित हुई थी, जिसका आवंटन सें लेकर संवत 2061 तक लगातार नवीनीकरण होता रहा। अपीलांट की पत्नी बाधुदेवी फौत हो चुकी है जिसके जायज वारिस अपीलांट है। अपीलांट ही इस रकबा पर बाधुदेवी के फौत होने के पश्चात काश्त करता आ रहा है व मृतक टी सी आवंटी का प्रथम श्रेणी का वारिस होन से यह अपील पेश करने का हकदार है व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मृतक के विरूद्व है, जो शुरू से शून्य है। अतः अपील प्रथम दृष्टया ही स्वीकार योग्य है तथा अपीलांट ने इस अपील में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.06.2006 में यह अंकित किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि नगरपालिका की पैरोफेरी क्षेत्र में आ चुकी है, इसलिए नवीनीकरण नही किया जा सकता। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका पैराफरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज फरमा दिया गया व रकबा बहक सरकार लेने के आदेश दे दिये। उक्त निर्णय की सूचना अपीलांट को नही दी। रिपोर्ट के संदर्भ में पटवारी हल्का के शपथ पत्र व ब्यान नही लिए गये। मातहत न्यायालय ने अपीलांट का रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर उक्त रकबा खारिज कर दिया जबकि अपीलांट का उक्त रकबा पैराफेरी सीमा 2 किलोमीटर से बाहर है अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

प्रस्तुत नहीं है जिससे यह सिद्व हो सके कि अपीलांट का रकबा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी कब्जा काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आवंटन समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम कायम होती रही तथा कब्जा बदस्तूर बना रहा। अपीलांट उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। अधीनस्थ न्यायालय को मेरा उक्त टी.सी. आवंटन खारिज करने का अधिकार ही नहीं है। अपीलाधीन आदेशों में वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाला दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं प्रश्नगत भूमि वर्ष 1970 से ही भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवंटित होकर निरंतर कब्जे काश्त मे चली आ रही थी। पैराफेरी क्षेत्र स्थित भूमि के खातेदारी अधिकार देने के नियम व पद्वति तथा प्रणाली राज्य सरकार द्वारा प्रसारित की जा चुकी है। अपीलांट उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी है। अपीलाधीन आदेश निर्णय की परिभाषा में नही आता, क्योंकि उक्त निर्णय, प्रिटेंड प्रर्फोमा पर ही जारी किया गया है। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने विवके का प्रयोग नही किया गया । उक्त निर्णय साइक्लोस्टाईल निर्णय की परिभाषा में आता है। है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे व मातहत न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06..2006 निरस्त फरमाया जावें।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। नगरपालिका सूरतगढ जरिये अधिशाषी अधिकारी की ओर आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उभय पक्ष की बहस सुनकर दिनांक 23.03.2022 को नगरपालिका सूरतगढ को पक्षकार बनाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा उपस्थित हुए तथा पैरोकार राज हाजिर आये व नगरपालिका सूरतगढ की तरफ से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा उपस्थित आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई उतरवादी न. 2 ने लिखित बहस प्रस्तुत की।

4. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2006 को मृतक के विरूद्व पारित कर अपीलांट को सुने बिना, बिना साक्ष्य के अपीलांट के 52 वर्ष पुरानें आवंटन को अपने ही कयासो के आधार पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी कब्जा काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों से मृतक क विरूद्व निर्णय होने से कानुन के प्रावधानो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आवंटन समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम कायम होती रही तथा कब्जा बदस्तूर बना रहा। अपीलांट उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। मातहत न्यायालय ने अपीलांट का रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर उक्त रकबा खारिज कर दिया अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह सिद्व हो सके कि अपीलांट का रकबा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। कई अवसरों पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार टी.सी. आवंटन खारिज करने में सक्षम नहीं है। तहसीलदार सूरतगढ़ के राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला निर्णय में दिया है वे इस मामले में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार शक्तियां कलक्टर को दी गयी है। अतः तहसीलदार को आदेश दिया जावे कि उक्त रकबा को गैरखातेदारी दर्ज किया जाकर खातेदारी सनद जारी की जावे। साथ ही अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार करने हेतु निवेदन किया की अपीलट को विधीवत तामील नही हुई है। अपीलाट की पत्नी टी सी आवटी बाधु देवी तो दिनांक 26.12.2000 को ही फौत हो चुकी थी इसलिए निर्णय ही शुरू से शुन्य की परिभाषा में आता है। कानुनी नजीर आर एल डब्ल्यू 2010 पेज न. 174 व आर आर डी 1999 पेज न.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

346 पेश कर निवेदन किया कि यदि पक्षकारान को विधीवत नोटिस तामिल नही हुए है तो मियाद जानकारी की तिथी से मानी जानी चाहिए। इसलिए प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 09.06.2006 खारिज किया जावे व कानुनी नजीर आर आर डी 2017 पेज न. 445 बअनवान रेशीदेवी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान निर्णय दिनांक 06.04.2017 व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण सख्या 8376/2006 बअनवान मलुराम पुत्र छपनदास बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2013 की प्रति व राजस्थान भु राजस्व (कृषि हेतु भुमि आवंटन) नियम 1970 पेज न. 133 व आर एल डब्ल्यू 2016 पेज न. 413 व आर एल डब्ल्यू 2010 पेज न. 174 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई काश्त पटटा) शर्त 1955 के अन्तर्गत अस्थाई काश्त निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को नही है। जबकि शर्त संख्या 19 के अनुसार उक्त शक्तियां जिला कलक्टर को प्राप्त है। इसलिए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया जाता है। उसके उपरान्त उक्त भूमि नगरपालिका की पेराफैरी व मास्टर प्लान में आ गयी जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। टी.सी. आवंटन के खारिज के बाद नवीनीकरण का पट्टा नही है। नवीनीकरण होने के आदेष के बाद ही रकम जमा की जाती है। अतः अपील खारिज की जावे।

6. अधिवक्ता नगरपालिका सूरतगढ के अधिवक्ता ने अपील का पूरजोर विरूद्व करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.06.2006 का है उसके दस वर्ष प्श्चात दिनांक 19.05.2016 को अपील पेश कि है दस वर्ष की देरी माफी योग्य नही है। एक टी सी आवंटी प्रतिवर्ष टीसी आवंटन नवीनीकरण के लिए तहसील में आना पडता है कब्जा काश्त की रिपोर्ट प्रस्तूत करनी पडती है अपीलाट को जैरअपील आदेश पूर्णतया जानकारी थी उन्होने जानबुझकर अपील पेश नही की थी। देरी का कोई समुचित कारण नही बताया व अपीलाट का कभी भी कब्जा नही रहा है। कानुनी नजीर आर आर टी 2015(2) पेज न. 1090, आर आर टी 2015 (1) पेज न. 232, आर आर टी 2002 पेज न. 33, आर आर टी 2010 पेज न. 801 के अनुसार देरी माफी योग्य नही है। इसके अलावा मैरिट पर बहस करते हुए निवेदन किया कि टी सी आवंटन मात्र एक साल के लिए होता है व अवधि समाप्त होते ही टी सी आवंटन स्वत ही निरस्त हो जाता है। आरआरडी 1995 पेज न. 431, आर आर टी 2018 पेज न. 364 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि टी सी अवधि समाप्त होते ही आवंटन निरस्त हो जाता है तथा कानुनी नजीर आर बी जे 1999 पेज न. 214 पेश कर निवेदन किया कि टी सी आवंटी को टी सी आंवटन के रकबा में कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। इसके अलावा रोही कस्बा सूरतगढ का रकबा दिनांक 07.09.2006 तक उपनिवेशन क्षेत्र में रहा तथा इससे पहले टी सी आवटी फौत हो गया था टीसी स्वत ही खारिज हो गई थी। अपीलाट ने धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश नही किया है। टी सी आवटन अधिकतम 5 साल के लिए होता है। टी सी आवंटी का प्रथम टी सी आवटंन सलाहाकार समिति की राय के बिना आवंटन होने से निरस्ती येाग्य है तथा रकबा पैराफेरी क्षेत्र में है जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने बहस उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी तथा उस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है उतरवादी न. 2 के जवाब माने जाने येाग्य नहीं है। फैसला मृतक के विरूद्व होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपीलाट मृतक बाधुदेवी का प्रथम श्रेणी का वारिस होने से उसे अपील पेश करने का अधिकार है। नगरपालिका सूरतगढ के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

अधिवक्ता के उज्र माने जाने योग्य नही है। इसलिए इस अपील का निर्णय हम मैरिट पर करना उचित समझते है।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 09.06.2006 में यह तथ्य स्वीकार किया है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के अपीलाट के टी सी आवंटन रकबा संवत् 2061 तक नवीनीकृत होती रही। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त टी.सी. आवंटन राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 का हवाला देते हुए निरस्त की है। इसके अलावा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें, 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अतर्गत वेस्टलैण्ड हेतु बने सन 1996 के नियमों के अंतर्गत उक्त आवंटन खारिज किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिपत्र दिनांक 15.12.2005 औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होत क्यों कि वादग्रस्त भूमि अपीलांटस को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी। इसी प्रकार राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक प. 9 (25) राज/16/2004/4 दिनांक 08.02.2006 शहरों में पैराफेरी क्षेत्र में आवंटित वेस्ट लैण्ड के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार जिला कलक्टर महोदय को है। कानुनी नजीर आर आर डी 2017 पेज न. 445 में पारित निर्णय इसी रोही सूरतगढ का है। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने टी सी निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार को नही माना है तथा इस निर्णय में अनेको निगरानीयों का हवाला दिया गया है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पटटा) शर्त 1955 के तहत वे स्थितीयां दी गई है जिनके तहत काश्तकारी का समापन किया जा सकता है। इन्ही नियमें के तहत नियम (V) के आगे अकित किया गया है कि " तो कलक्टर पटटे को कभी भी समाप्त कर सकेगा और इसके प्चात ऐसी भुमि पर पुनः प्रवेश करेगा"। इस प्रकार स्पष्ट है कि अस्थाई कास्त खारिज करने की शक्तियां कलकटर में निहित है ना कि तहसीलदार में। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ द्वारा पूर्व में प्रिण्टेड फार्म पर रिक्त स्थान की पुर्ति करते हुए आक्षेपित आदेश के तहत अस्थाई कास्त आवंटन को खारिज कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है, जो समर्थन योग्य नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन है, जो निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर तहसीलदार सूरतगढ़ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2006 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलोरिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)